अभि...

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–105/2022 धारा–144 दं0प्र0स0

बसारत हुसैन वगै0 –बनाम– लतिफ मियां वगै0

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार दिनांक 17.08.2022 को द0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा– कमलवार, थाना–चौपारण,जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
43	182	48.65 ए0 मधे 03.60 ए0	उ0– जी0टी0रोड द0– जंगल झाडी पू0– दुखन मियां प0– नीज प्रथम पक्ष

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कागजात एवं अधिवक्ताओं के दलील तथा उभय पक्षों के बयानात से स्पष्ट है कि वादी प्रतिवादी भूमि से संबंधित अपने–अपने कागाजात के आधार एवं प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष अपने–अपने हक–हकियत का दावा कर रहे है जिससे स्पष्ट होता है कि मामला (title) स्वत्व निंधारण का है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बहार है।

अतः प्रथम पक्ष यदि चाहे तो मामले को सक्षम न्यायालय में दायर कर स्वत्व निंधारण कर सकते है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

17/8/22 17/8/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.12 21:56:39 +05:30
Location: 192.168.100.22